सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK70119553189430Q
Certificate Issued Date	:	14-Jun-2018 02:07 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1264304/ TEHRI/ UK-TG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK126430441402361531374Q
Purchased by	:	MUKESH DABRAL
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	MUKESH DABRAL
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	MUKESH DABRAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

(DINESH PRASAD)
STAMP VENDER
Court Compound, New Tehri

------------Please write or type below this line------------

NOTARIAL

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com'. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

परिशिष्ट –3 शपथ पत्र

(सौ रुपये के नॉन जूडिशियल पेपर पर)

समक्षः– जिला पर्यटन विकास अधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल।

मै/हम मुकेश [illegible] पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री शिवानन्द [illegible] निवासी ग्राम व पोस्ट काण्डाताल, जनपद टिहरी घोषणा करता हूँ/करती हूँ, करते है कि :–

1–यह कि मेरा/हमारा उपरोक्त नाम व पता सही एंव सत्य है।

2–यह कि मैं/हम अपने आवासीय भवन स्थित (पता) ग्राम व पोस्ट काण्डाताल, जनपद टिहरी मैं स्वयं के उपयोग के अतिरिक्त अवस्थित अतिरिक्त कक्षों 06 (कक्षों की संख्या) को अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण करने के इच्छुक है।

3–यह कि उक्त आवासीय भवन का पूर्ण निजी स्वामित्व मेरा/हमारा स्वयं का है जिस पर स्वामित्व अथवा कोई झगडा विवाद नहीं है।

4–यह कि मेरे/हमारे भवन का मानचित्र अनुमोदन/भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई वाद नही है अथवा भवन प्राधिकरण/स्थानीय निकायों के गठन से पूर्व का निर्मित है, जिस कारण मानचित्र नही है/स्वीकृत नही है। भवन हैरिटेज दृष्टि से पर्यटकों हेतु उपयोगी है।

उक्त के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की दशा में मैं/हम इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी/होगें। ऐसी स्थिति में मेरा/हमारा इस योजनान्तर्गत पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार विभाग का होगा।

5–यह कि मेरे/हमारे द्वारा अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली–2015 (प्रथम संशोधन नियमावली–2016) तथा समय–समय पर जारी संशोधनों में किये गये प्राविधानों/नियमों/उपनियमों/शर्तों को भली भांति पढ लिया गया है, जिसका पूर्ण रुप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रुप से बाध्य होऊंगा/होऊंगी/होगें।

6–यह कि भवन स्वामी कोई ऐसी गतिविधि प्रोत्साहित या प्रचलित नही करेगा, जिससे आस–पास के निवासियों को असुविधा हो, उनके अधिकारों का हनन या उनकी निजता पर अतिक्रमण हो, होम स्टे के अन्तर्गत कक्षों की अधिकतम एंव न्यूनतम दैनिक किराया दरों का विवरण भवन के उचित स्थल पर निम्नानुसार प्रदर्शित करुंगा।

क्र0स0	कक्षों का प्रकार	अधिकतम किराया	न्यूनतम किराया
	10X10 [illegible]	4000.00	1500.00

7–पर्यटकों के आवागमन के सम्बन्ध में एक आगन्तुक पंजिका का रख रखाव करुंगा/करुंगी, जिसका निरीक्षण जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा किये जाने पर मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

घोषणा

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य सत्य व सही हैं, कोई तथ्य छिपाया नही गया है, यदि इसमें कोई भी तथ्य झूठा पाया जाय तो उसकी पूर्ण जिम्मेदार मेरी/हमारी होगी, ऐसी स्थिति मैं मेरी/हमारी इकाई का पंजीकरण निरस्त किये जाने पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नही होगी ना ही कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

आज दिनाँक 14/06/18 को मैं/हम शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गई शपथ पत्र की सभी शर्तें सही व सत्य होना कबूल करता/करती हूँ/करते हैं।

ATTESTED
(D.D. Nautiyal)
Advocate/Notary

नाम तथा हस्ताक्षर शपथकर्ता
मुकेश [illegible]